प्रेस नोट
दिनांक 30.05.2024, थाना उमरीबेगमगंज
जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 127/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त 01. आनन्द कसौधन पुत्र रामतेज कसौधन निवसी मंगुरा बाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को मंगुरा बाजार चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.05.2024 को वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि मेरी लड़की को उसके ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 127/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम आनन्द कुमार आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त 01. आनन्द कसौधन पुत्र रामतेज कसौधन निवसी मंगुरा बाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को आज दिनांक 30.05.2024 को मंगुरा बाजार चौराहे के पास थाना उमरीबेगमगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आनन्द कसौधन पुत्र रामतेज कसौधन निवसी मंगुरा बाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 127/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० संजीव चौहान
02. का0 सूरज कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 30.05.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत नवीन गल्ला मण्डी बड़गांव स्थित स्ट्रांग रूम का किया गया निरीक्षण,

04 जून को मतगणना के दृष्टिगत किए जा रहे सुरक्षा प्रबंध की स्थिति का लिया गया जायजा, सभी ड्यूटी प्वाइंटो का किया गया स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धित अधि0/कर्मचारीगणों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 30.05.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत बनाये गये स्ट्रांग रूम स्थल नवीन गल्ला मण्डी बडगाँव का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था व 04 जून को मतगणना के दृष्टिगत किए जा रहे सुरक्षा प्रबंध की स्थिति का जायजा लेकर सभी ड्यूटी प्वाइंटो का स्थलीय निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा- 01. आइसोलेशन कोर्डन, 02. इनर कोर्डन व 03. आउटर कोर्डन व मजबूत बैरिकेटिंग में लगे अधि0/कर्मचारीगणों को चेक कर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को परखा गया। महोदय द्वारा 04 जून को होने वाली मतगणना में लगने वाले बैरियरों को चिन्हित कर मंडी परिषद के दोनो तरफ की पार्किग आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गयी।

महोदय द्वारा बताया गया की लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु 04 महत्वपूर्ण बैरियर बनाया गया है। पहला बैरियर श्री महादेव पेंट्स के सामने मुख्य मार्ग (मिश्रौलिया ओवरब्रिज के आगे उतरने पर) व दुसरा बैरियर बड़गाँव चौराहा के पास बनाया गया है । जिनका दायित्व होगा की मतगणना स्थाल की ओर प्रत्याशी, प्रत्याशियों के एजेण्ट व चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मिक का पहचान पत्र व जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत पास चेक करने के उपरान्त ही उनको तथा उनके वाहनों को आगे जाने दिया जायेगा। तीसरी बैरियर महादेव धर्मकाटा के आगे वैल्यू इलेक्ट्रानिकस के पास बनाया गया जो मिश्रौलिया ओवरब्रिज की तरफ से आने वाले प्रत्याशी, प्रत्याशियों के एजेण्ट व चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मिक को रोककर उनके लिए बनाये गये पार्किंग स्थल स्वामी नाथ महादेव मैरिज लाँन व इरम हास्पिटल मोड़ के तरफ खाली मैदान में ही पार्किंग कराया जायेगा। इस प्रकार बड़गाँव की तरफ से आने वाले चौथे बैरियर जय माँ जहजवा सम्मय महारानी के पास रोका जायेगा तथा उनके वाहनों को बनाये गये पार्किंग स्थल आदर्श सामदेव संस्कृत महाविद्यालय व जय माँ जहजवा सम्मय महारानी के बगल में खाली स्थान में ही पार्किंग कराया जायेगा। जिसमें गल्ला मण्डी मतगणना स्थल के 150 मीटर परिधि के बाहर तक किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णरूप से निषेध रहेगा। पुलिस बल द्वारा उक्त क्षेत्र में केवल पास धारक प्रत्याशी अथवा अन्य व्यक्तियों जिसमें मतगणना अधि0/कर्मचारी, मतगणना एजेंट को जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत पास चेक करने के उपरान्त ही उनको प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगी। मतगणना स्थल पर पान, मसाला, सिगरेट, माचिस, इलेक्ट्रानिक डिवाइस व ज्वलनशील पदार्थ ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार की जुलूस/रैली नहीं निकाली जाएगी। कोई भी मतगणना कर्मचारी, प्रत्याशी, प्रत्याशी एजेंट या अन्य किसी का मोबाइल फोन अंदर ले जाना पूर्णतया मना है। मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु 07 प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, 30 निरीक्षक, 149 उ0नि0, 07 महिला उ0नि0 , 820 हे0का0/का0 सहित करीब 185 महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के अतिरिक्त 27 पुलिस यातायत व्यवस्था के लिए लगाई गई है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या के पीएसी व सीएपीएफ के जवानों की भी तैनाती की जायेगी । LIU द्वारा भी अवांछनीय/अराजक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जायेगी। मतगणना के दृष्टिगत 03 क्यू0आर0टी0 का गठन किया गया है जो दंगा नियन्त्रण

उपकरणों से सुसज्जित होंगी। 01 क्यूआरटी मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर, द्वितीय क्यू0आर0टी0 को बडगाँव चौराहे तथा तृतीय क्यू0आर0टी0 को मिश्रौलिया चौराहे पर लगाई जाएगी। मतगणना स्थल को ड्रोन कैमरों/कैमरों से निगरानी करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जायेगी। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय इनर कोर्डन के प्रभारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत सम्पूर्ण मतगणना/आउटर कोर्डन के प्रभारी होंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा फायर सर्विस की गाड़ी का व्यवस्थापन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा मानक के अनुसार ड्यूटी लगायी जायेगी। ड्यूटी में तैनात कर्मचारी ज्वलनशील वस्तुओं व तेल गैस या शार्ट सर्किट से लगने वाली आग पर नियत्रंण स्थापित करने वाले समस्त प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित होगे।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह व अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस- नोट
दिनांक 30.05.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर गोण्डा की अध्यक्षता में बाल किशोर पुलिस इकाई की हुई गोष्ठी, जिसमें गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट तथा सोशल मीडिया से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के दिए गए निर्देशः-

आज दिनांक 30.05.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर गोण्डा सुश्री शिल्पा वर्मा की अध्यक्षता में बाल किशोर पुलिस इकाई कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें समस्त थानों के बालकल्याण अधि0/किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया। क्षेत्राधिकारी सदर गोण्डा द्वारा बैठक में बालसंरक्षण, पाक्सो एक्ट, जे०जे० एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में वार्ता कर जानकारी दी गई। बैठक के दौरान पाक्सो एक्ट व महिला सम्बन्धी अपराधों में की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया तथा बालश्रम, जुबेनाइल एक्ट, पॉक्सो एक्ट, गुमशुदगी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल-विवाह, बाल तस्करी आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि थानों पर उक्त घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए तलाश गश्ती व अन्य प्रचार-प्रसार कराए, गुमशुदा बालक/बालिकाओं की बरामदगी होने पर नियमानुसार सादे वस्त्रों में बालकल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पाक्सो एक्ट के मामलों में नाबालिग से बातचीत के दौरान सादे वस्त्रों में ही रहे। महिला सम्बन्धी अपराधों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही पीड़िता से पूछताछ की जाए। बालश्रम व बाल-भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाकर उनको मुक्त कराया जाए।

इस कार्यशाला में अध्यक्ष न्यायपीठ बाल कल्याण समिति श्री प्रेम शंकर लाल श्रीवास्तव, सदस्य श्री राम कृपाल शुक्ला गोण्डा सहायक अभियोजन अधिकारी विधिसा परिवीक्षा अधिकारी श्री जे.पी यादव, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड हेल्पलाइन, श्री आशीष मिश्रा, वन स्टॉप सेंटर मैनेजर श्रीमती चेतना सिंह रिचा तिवारी समस्त थानों के बालकल्याण अधि0, ए0एच0टी0यू0/एच0जे0पी0यू0, अपराजिता संस्था के प्रतिनिधि अत्रय त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।